



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

Jharkhand State Pollution Control Board

नगर प्रशासन भवन, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : 2400851, 2400852, 2400979 फ़ैक्स : 0651- 2400850,

Web: www.jspcb.nic.in (new) [www.jspcb.org\(old\)](http://www.jspcb.org(old))

E-mail: ranchijspcb@gmail.com

अधि० सं०.....०५.....

दिनांक.....०५-०२-२०१९.

अधिसूचना

पर्षद मंडल की 37वीं बैठक (विशेष बैठक) की कार्यवली संख्या-4 में लिये गये निर्णयानुसार पर्षद द्वारा पूर्व में सी०टी०ओ० अवधि के संदर्भ में निर्गत आदेश में निम्नलिखित बिन्दुओं को छोड़कर अन्य मामलों में न्यूनतम सी०टी०ओ० अवधि पाँच वर्ष रखने का निर्णय लिया जाता है:-

क) खनन पट्टों के मामलों में खनन पट्टे की वैधता अथवा पाँच वर्ष में जो भी कम होगा, लागू होगी।

ख) जमीन संबंधी लीज की वैधता अथवा पाँच वर्ष में जो भी कम होगा, लागू होगी।

ग) 50 लाख से कम पूँजी निवेश के उद्योगों द्वारा अध्यक्ष की पूर्वानुमति से पाँच वर्ष से कम अवधि का सी०टी०ओ० आवेदन कर सकते हैं।

घ) अति प्रदूषित इकाइयों के मामलों में यदि पर्षद द्वारा बैंक गारंटी लेना आवश्यक हो, तो बैंक गारंटी वैधता अथवा पाँच वर्ष में जो भी कम होगा, लागू होगी।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव

राँची, दिनांक.....०५-०२-२०१९.

ज्ञापांक.....D-86

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजीव लोचन बक्शी)
सदस्य सचिव